महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण मे सरकार की भूमिका – एक सामान्य अध्ययन

मोहम्मद सगीर
सहायक प्राध्यापक, डॉ. सी.वी.रमन् विश्वविद्यालय, खण्डवा (मध्य प्रदेश) भारत

सारांश
हमारे समाज में नारी को प्राचीन समय से ही देवतुल्य माना गया है। आदिकाल से ही महिलाऐं समाज के निर्माण में प्रमूख भागीदार के रूप में रही हैं। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नही पहुँच सकता, जब तक उस देश की महिलाऐं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है, समाज मे उनके वास्तविक अधिकार का प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण हैं। महिलाओं को समानता एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में शासन द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे है, वह चाहे विधान द्वारा निर्मित अधिनियम हो या सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाऐं हो। आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रमूख समस्या महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाना हैं। उन्हें कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित कर उनकी कार्यशैली को मजबूत बनाना हैं। ताकि उन्हें नया परिवेश मिल सकें वह आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। सरकार की नीतियों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। उन्हें सही जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से सरकार ने जो कदम उठाए है, वह तभी सार्थकता का स्तर प्राप्त कर सकें हैं जब इससे संबंधित सम्पूर्ण जानकारी लाभार्थियों तक पहुँच सकें। सरकार की योजनाओं का दूरगामी लक्ष्य यह है कि योजनाओं के व्यापक संदर्भों की जानकारी देने की प्रतिबद्धता निरंतर बनी रहे। मौजूदा दौर की प्रभावशाली योजनाओं का दोहन उन सभी प्रतिभाशाली महिला उद्यमियों द्वारा किया जाए, जिन्हें इसका लाभ पहुँचना हैं। सरकार महिला उद्यमियों का एक ऐसा अभ्यारण तैयार करना चाहती है, जिससे महिलाओं को उद्यमिता के नये आयाम में गति मिल सकें। उद्यमशीलता के द्वारा उन्हें एक ऐसा प्लेटफार्म मिल सकें जिसके माध्यम से उन्हें समाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकें।

शब्द कुंजी –दूरगामी, प्रतिबद्धता, कौशल, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, सार्थकता, उद्यमी, परिपेक्ष्य

I प्रस्तावना

भारत वर्ष के इतिहास में महिलाओं के शासनकाल और बुद्धिमानता की अनेक गाथाऐं स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। महिलाओं ने अपनी वीरता, साहस और बलिदान की अमिट छाप छोड़ी हैं। कुछ दशक पूर्व से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिर्वतनों से शिक्षा के प्रसार में जो नूतन परिवर्तन हुए हैं उसके फलस्वरूप महिलाओं ने अपनी उपस्थिति प्रत्येक क्षेत्र में दर्ज की हैं। वर्तमान समय में महिला उद्यमियों ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सफलता हासिल की हैं। मनुष्य की पहली पाठशाला उसका घर होता हैं और उसकी मा प्रथम गुरू के रूप में जानी जाती हैं। वह समाज में सामाजिक, आर्थिक और घरेलु क्रियाओं का प्रबंध करती रही हैं। लेकिन परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया के साथ उसने उद्यम की स्थापना के कार्य में योगदान देना प्रारम्भ किया हैं। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को व्यापार एवं पेशे के क्षेत्र में एक नई दिशा प्राप्त हुई हैं। वह सभी उपक्रम जिसमें स्वामित्व महिला उद्यमी का हो, किसी उपक्रम मे 51 प्रतिशत पूँजी की भागीदारी महिलाओं की हो, उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो, उपक्रम में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो या महिला किसी भी प्रकार की सेवा व वस्तु का उत्पादन करती हो तो उसे महिला उद्यमी कहा जाता हैं। महिला या महिलाओं का वह समूह जो किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, उसका संचालन या संगठन करती है, जिसमें किसी सेवा या व्यावसायिक उपक्रम का स्वामित्व एवं प्रबंध एक या अधिक महिलाओं द्वारा किया जाता हैं उसे **''लघु औद्योगिक इकाई''** के नाम से जाना जाता है। उद्यमशीलता जीवन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। यह मात्र धन सृजन का एक तरीका नही वरन् व्यक्तित्व विकास एवं संपूर्ण सामाजिक – आर्थिक विकास का गुरूमंत्र है, जो आत्मनिर्भरता एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक द्वार सिद्ध हुआ है। उद्यमिता सामाजिक प्रगति का आधार स्तभं है जिससे बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं का अंत होने की सम्भावनाऐं होती हैं। महिलाओं में एक जन्मजात गुण होता है कि वह बेहतर प्रबंध करने में माहिर होती है, चाहे वह घर का बजट हो, सामाजिक कार्यप्रणाली हो या परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना हो। एक उद्यमी में जो आवश्यक गुण होना चाहिए जैसे – नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, साहस, दूरदर्शिता, नेतृत्व, नवपरिवर्तन की योग्यता, रचनात्मक क्रिया आदि यह सभी गुण महिलाओं मे जन्मजात रूप से उत्पन्न होते है। प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को स्त्री–पुरूष समानता को बढ़ावा देने के आह्वान पर अमल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान का मुख्य विषय ''चुनौती देने को चुनो है'' स्त्री – पुरूष असमानता महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करना एवं समानता लाना ही इसका लक्ष्य हैं।

II सरकार की भूमिका

नारी को जागरूक व सशक्त बनाकर ही मजबूत समाज की स्थापना का सपना साकार किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने देश के सामाजिक ढांचे में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये है। जिसे संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 243 में विस्तृत रूप से दर्ज किया गया है। परन्तु समय–समय में इसमे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस

की गई और महिलाओं के हित को देखते हुए इनमें बहुत से परिवर्तन भी किये गए और वर्तमान में भी सुधारात्मक प्रयास सरकार द्वारा किये जाते रहे हैं। सरकार द्वारा महिलाओं की प्रतिष्ठा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। महिलाओं को समानता एवं सम्मान जनक जीवन प्रदान करने की दिशा में आयोग का आवश्यक अंग है न्याय की उपलब्धता, यह सुविधा रहित वर्गो की महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास एवं कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन निरंतर किया जाता रहा है, जिससे उनकी यथा स्थिति मे सुधारात्मक परिवर्तन हो सके महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयास भारत सरकार द्वारा किये जाते रहे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख रूप से इस प्रकार है –

(क) संविधान व्यवस्थाऐं
(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन
(ग) राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना
(घ) महिला अधिकारिता वर्ष, 2001
(च) महिलाओं में शिक्षा प्रसार
(छ) आर्थिक जीवन में प्रगति
(ज) राजनैतिक जागृति
(झ) पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि
(ट) महिलाओं के सुरक्षात्मक प्रावधान
(ठ) महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विषेष योजनाऐं

महिला सशक्तिकरण की दिशा मे सरकार की इस भूमिका के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई शासकीय और गैर शासकीय संस्थाए इस कार्य में लगी हुई हैं जिससे की प्रत्येक महिलाओं तक यह जानकारी पहुच सके।

III सरकार की योजनाऐं

विकासशील देशो में उद्यमिता समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार हैं। भारत जैसे राष्ट्र के नियोजित एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का विकास आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने उद्यमियों की सहायता के लिए अनेक योजनाओं के क्रियांवयन हेतु अलग–अलग संस्थानों की स्थापना की है, जैसे – लघु उद्योग विकास संगठन, युवा उद्यमियों का राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उद्योग निदेशालय, राज्य वित्त निगम, भारतीय मानक ब्यूरो जिला उद्योग केन्द्र एवं कोशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार आदि। सभी संस्थाओं द्वारा अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करके महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्त एवं प्रबंधकीय परामर्श, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं उत्पादन प्रशिक्षण आदि का कार्य किया जाता हैं। वर्तमान में नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता प्लेटफार्म की शुरूआत की हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोग्राम जिसे शासन द्वारा उपलब्ध wep.gov.in पद पर देखा जा सकता है, से महिला उद्यमियों को एक नई दिशा प्रदान की गई है इसमे नीति आयोग के साथ – साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार भी शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं को व्यापार में कौशल विकास करने और व्यापार में मदद करने के लिए शुरू किया गया हैं। यह कार्यक्रम महिलाओ की तीन शक्तियों – इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्मशक्ति को बढ़ाने के लिए लाया गया है। और इन्ही तीन शक्तियो को WEP आधार स्तंभ माना गया हैं। सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है जिन योजनाओं का लाभ लेकर वह अपने आप को उद्यम के क्षेत्र में सशक्त बनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है ।

IV शोध प्राविधि

किसी भी शोधपत्र को तैयार करते समय यह आवश्यक है की यह सुनिश्चित कर लिया जाए की हम किस विधि का प्रयोग करके अपना शोध कार्य पूर्ण करेंगे। शोध नियमो के अनुसार प्रस्तुत शोधपत्र विवरणात्मक एवं नवीन व्यावहारिक पद्धति को अपनाते हुए शोध लेख को मौलिकता प्रदान कने का प्रयास किया गया हैं। इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री विभिन्न पत्रिकओं, पुस्तकालयों, इन्टरनेट एवं शोध संस्थानों में उपलब्ध साधनों के अलावा सन्दर्भ ग्रंथो से एकत्र किया गया हैं। इन सन्दर्भ आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, आत्मलेखो, समाचार पत्र–पत्रिकओं, राजनैतिक दलो के घोषणा पत्रों इत्यादि से लेखन सामग्री संगृहीत कर विवरणात्मक अध्यन किया गया है।

V अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी शोधकार्य के पहले यह आवश्यक होता है कि हम सही दिशा मे कार्य करे इस हेतु हमारे उद्देश्य क्या होगें यह निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य हैं।

अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन् के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है–
(क) भारत में महिला उद्यमियों की स्थिति का अध्ययन् करना
(ख) महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका का अध्ययन् करना
(ग) सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन में निर्धारित प्रावधानों का अध्ययन् करना

VI निष्कर्ष

वर्तमान समय में महिला उद्यमिता विकास की नितांत आवश्यकता हैं। नवपरिवर्तन के माध्यम से सरकार उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त कर देश के आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहती हैं। महिलाओं द्वारा लघु उद्योगों के क्रियांवयन से जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अपने दायरे को बढ़ाकर इस और अग्रसर हो कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने

के अलावा देशहित मे कार्य कर सकती है तो निश्चित ही महिलाऐं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आएगी। इस हेतु उन्हें केवल अपने अधिकारो के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता हैं। शिक्षा के अभाव और जानकारी की कमी के कारण वह सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से अपने आप को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक हैं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र मे, अपने आप को आगे लाए, सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। संविधान में दिये अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। आज सबसे जटिल समस्या महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने की हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावित पहलों और निवेश से अनगिनत महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी जा सकती हैं। और उन्हें कौशल विकास और समुचित प्रशिक्षण देकर उनके उद्यम को नया आयाम प्रदान किया जा सकता हैं। उन्हे आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सकता है। महिला उद्यमिता के जरिये ऐसी अधिकार संपन्न महिलाओं की परिकल्पना की गई है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में जयशंकर प्रसाद जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ सटीक बैठती है कि–

नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पग तल पर।।
पियुष –स्त्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुन्दर समतल में।।

संदर्भ ग्रंथ

[1] कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, 2021

[2] नीति आयोग

[3] wep.gov.in

[4] आशा कौषिक ''नारी सषक्तिकरण''

[5] डॉ. शाहिन रजी, नौषीन रजी, योजना आयोग 2020

[6] विपिन सिंघल ICSSR